

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोडा)**

e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 148 / कैम्प-समनगर / 50 सी

दिनांक 23.03.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोडा वन प्रभाग
अल्मोडा।

विषय :- जनपद अल्मोडा में विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी लिंक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (33105) निर्माण हेतु 4.286 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/08/62/2019/एफ0सी0/427 दिनांक 24.05.2019

महोदय,

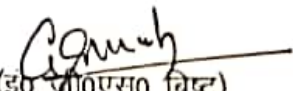
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोडा में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.286 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। आरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या विन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वचनवद्धता संलग्न है।
2	एन0पी0वी0 की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरो पर ए0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	वचनवद्धता संलग्न है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनवद्धता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कार्य जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित जायेगा।	वचनवद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वचनवद्धता संलग्न है।
6	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	वचनवद्धता संलग्न है।
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	वचनवद्धता संलग्न है।
8	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 से अधिक न हो।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा। उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 01 :- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इ० जी०एस० विष्ट)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
Pसल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

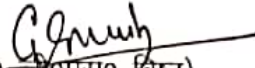
नॉट संख्या 02 :- एनएचवीए की दरों में अलग बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अधिकरण कड़ी दरों पर एनएचवीए देने के लिए बाध्य होगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(डा. श्रीराम शर्मा)
अधिकांशी अधिकृत
निम्नलिखित नामों के अधिकारिण
 सचिव (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

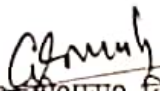
शर्त संख्या 03 :- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं०-जी०एस० विष्ट)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
Pसल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

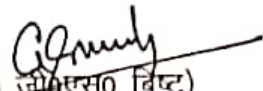
शर्त संख्या 04 :- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन कार्य जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं० जी०एस० बिष्ट)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

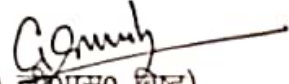
शर्त संख्या 05 :- प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचें, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं० जे०एस० सिंग)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

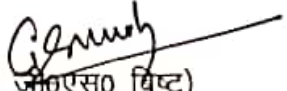
शर्त संख्या 06 :- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं० लो०एस० बिष्ट)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

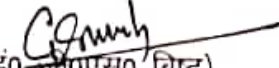
शर्त संख्या 07 :- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं० जी०एस० सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

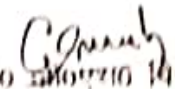
शर्त संख्या 09 :- सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं०-जी०एस० विष्ट)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सारना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

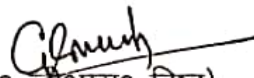
शर्त संख्या 10 :- परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभावीय वन्यविकास की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा, के सम्बन्ध में वचनबद्धता की जाती है।


(डॉ. गोपाल सिंह)
अध्यापक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, नोडलिनि
साल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

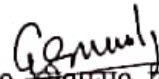
शर्त संख्या 11 :- यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं० जी०एस० बिष्ट)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
Pसल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 12 :- ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।


(इं० जी०एस० बिष्ट)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 सल्ट (अल्मोड़ा)